न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य

अपील संख्या :– आर.ए.एस 12/2020

1. पाना देवी पुत्री जगमाल सिंह पत्नी रामजीलाल जाति राजपूत निवासी सरूण्ड तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान जरिये मुखत्यारआम श्यामसिंह पुत्र उमरावसिंह तंवर जाति राजपूत निवासी मौहल्ला चांदवास ग्राम सरूण्ड तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.) फौत
   1/1 नत्थूसिंह पुत्र पाना देवी
   1/2 महेन्द्र सिंह पुत्र पाना देवी
   1/3 सुप्यार पुत्री पाना देवी
2. मिश्री देवी पुत्री जगमालसिंह पत्नी जगदीशसिंह जाति राजपूत निवासी सरूण्ड तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान जरिये मुखत्यारआम श्यामसिंह पुत्र उमरावसिंह तंवर जाति राजपूत निवासी मौहल्ला चांदवास ग्राम सरूण्ड तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)
3. सुप्यार देवी पत्नी जगमालसिंह जाति राजपूत निवासी सरूण्ड तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज. जरिये मुखत्यारआम श्यामसिंह पुत्र उमरावसिंह तंवर जाति राजपूत निवासी मौहल्ला चांदवास ग्राम सरूण्ड तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. गुरूदयाल सिंह पुत्र जगमालसिंह
2. प्रेमदेवी पत्नी बिरजू
3. रेणू पुत्री बिरजू
4. रविना पुत्री बिरजू
5. उपेन्द्र सिंह पुत्र महावीरसिंह
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)
7. सब रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार कार्यालय कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 177 ग्राम सरूण्ड तहसील कोटपूतली जो कि दिनांक 15/6/1992 को तहसीलदार कोटपूतली के द्वारा स्व. जगमाल सिंह पुत्र फूलसिंह की विरासत इन्तकाल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 के हक में खोला गया।

निर्णय दिनांक 6.10.2021

अपीलान्ट के मुखत्यारआम ने जरिये वकील एक अपील विरूद्व नामा. इस आशय का पेश की है कि प्रार्थी अपीलान्ट का पिता जगमालसिंह पुत्र फूलसिंह विवाहित आराजी ख.नं. 321, 326, 327 328, 329, 510, 553, 514, 256 वाके ग्राम सरूण्ड में अंकित हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार थे। अपीलान्ट के पिता जगमाल सिंह के फौत होने पर अपीलान्ट तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 एवं मृत्क बिरजू व कमला जो कि मृत्क जगमान सिंह के जायज वारिस थे। जगमालसिंह को खातेदारी भूमि पर प्रार्थी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के हक खातेदारी हांसिल हुयी तथा हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या व बिरजूसिंह चतुर व्यक्ति

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

है। जिन्होंने अपीलान्ट की कमजोरी का फायदा उठाते हुये जगमालसिंह की फौतगी का इत्तकाल केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व मृत्क बिरजूसिंह व कमला के हक में खुलवा दिया जिसका फायदा उठाते हुये अब रेस्पोन्टगण् अपीलान्ट के हिस्से की भूमि में कब्जा करने व भूमि का विकय करने की धमकी देते है। तथाकथित नामा. खोले जाने का तहसीलदार को कोई अधिकार नहीं था। इसका नामा. ग्राम पंचायत को ही खोले जाने का हक हांसिल था। उक्त नामा.सं. 177 तहसीलदार कोटपूतली ने प्रार्थीगण् के पीठ पिछे से कार्यवाही की है। गत सप्ताह रेस्पोडेन्ट गण् द्वारा भूमि को बेचान की धमकी देने पर नामा. की नकल प्राप्त कर उक्त अपील मय दफा–5 श्रीमान्जी के समक्ष पेश की है। अतः अपील स्वीकार कर नामा.सं. 177 निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना–पत्र दफा–5 में कथन किया कि नामा.सं. 177 पर तहसीलदार कोटपूतली ने प्रार्थीगण् के पिठ पिछे कार्यवाही की है। इसकी प्रार्थीगण् को जानकारी नहीं थी। गत सप्ताह रेस्पोडेन्ट द्वारा धमकी देने व विकय करने पर आमादा होने से नामा. की नकल दिनांक 28/01/2020 को प्राप्त होने से प्रार्थी अपीलान्ट को पूर्ण जानकारी हुयी है। जानकारी होने पर कानूनी सलाह लेकर बिना देरी किये अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रकरण प्रस्तुत करने में हुयी देरी को कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद लिये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तल्ब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 की ओर से श्री सुधीर शर्मा एडवोकेट उपस्थित आये। जवाब प्रार्थना–पत्र दफा–5 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वास्तविक तथ्य यह है कि नामा.सं. 177 की अपीलान्ट को बखूबी जानकारी थी। पूर्व में भी उक्त नामा. बाबत न्यायालय श्रीमान् केसमक्ष ब उनवानी पाना देवी बनाम गुरूदयाल मु.नं. 21/2012 प्रस्तुत की एवं उक्त अपील दिनांक 06/4/2017 को आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी के तहत् तामील हेतु तलबाना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण खारिज हो चुकी है। इस प्रकार अपीलान्टगण् को दिनांक 14/5/2012 को ही उक्त नामा. की बखूबी जानकारी थी। अपीलान्टगण् ने तथ्यों को छुपाते हुये उक्त अपील मियाद बहार पेश की है। ऐसी सूरत में अपीलान्टगण् को दफा–5 मियाद अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावें।

जिस पर अपीलान्ट को बार–बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी इनके द्वारा शेष रेस्पोडेन्ट की तामील हेतु तल्वाना प्रस्तुत नहीं किया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 10/02/2021 को वकील अपीलान्ट को हिदायत दी गयी कि शेष रेस्पोडेन्ट की तामील हेतु तल्वाना पेश करें अन्यथा प्रकरण आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी के तहत् खारिज कर दिया जायेगा, परन्तु इसके पश्चात् भी लगभग 10–11 अवसर लिए जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा दिनांक 20/9/2021 को वकील अपीलान्ट उपस्थित नहीं आये। इसके बावजूद भी उनको 100/– रूपये कोस्ट पर अन्तिम अवसर दिये जाने पर भी वे न्यायालय में उपस्थित नहीं आये, ना ही उनके द्वारा सम्मन तलबाना प्रस्तुत किया गया। आगामी तारीख पेशी दिनांक 06/10/2021 को वकील अपीलान्ट अनुपस्थित रहे एवं वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 ने जाहिर किया कि वकील अपीलान्ट न्यायालय ने सम्मन तलबाना पेश नहीं कर रहे है एवं नामा.सं. 177 ग्राम सरूण्ड फैसल दिनांक 01/6/1992 फैसल द्वारा तहसीलदार कोटपूतली बाबत अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी दिनांक 14/6/2012 को अपील संख्या 21/2012 ब उनवानी पाना देवी बनाम गुरूदयाल न्यायालय में प्रस्तुत की थी जो दिनांक 06/4/2017 को अपील अपीलान्ट द्वारा सम्मन तलबाना पेश नहीं करने पर आदेश 9 नियम–5 सी.पी.सी में खारिज कर दी गयी थी । उसके पश्चात् अपीलान्ट ने उपरोक्त आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत नहीं कर दिनांक 06/02/2020 को न्यायालय में नामा.सं. 177 ग्राम सरूण्ड के विरूद्व उक्त अपील प्रस्तुत की है जो अत्यधीक मियाद बहार होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है तथा पूर्ववर्ती अपील के निस्तारण होने के उपरान्त पुनः उसी न्यायालय में अपील चलने योग्य नहीं है। अतः अपील खारिज की जावें तथा अपने कथन के समर्थन में वकील रेस्पोडन्ट के द्वारा प्रकरण संख्या

21/2012 ब उनवानी पाना देवी बनाम गुरूदयाल फैसल दिनांक 06/4/2017 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 12/2020 में अपीलान्ट द्वारा दिनांक 20/8/2020 से ही लगातार सम्मन तलबाना प्रस्तुत करने हेतु समय चाह रहे है एवं दिनांक 10/02/2021 को न्यायालय द्वारा वकील अपीलानट को सम्मन तलबाना प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये आदेश पारित किया था कि सम्मन प्रस्तुत नहीं करने पर प्रकरण को आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी में खारिज कर दिया जायेगा। इसके बावजूद भी उनके द्वारा 11 अवसर न्यायालय द्वारा दिये जाने के उपरान्त भी व 100/- रूपये कोस्ट पर न्यायहित में एक अवसर ओर दिये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा सम्मन पेश नहीं किये गये । इसके अतिरिक्त दिनांक 29/9/2021 व दिनांक 06/10/2021 को ना तो अपीलान्ट उपस्थित आये एव ना ही उनके अधिवक्ता उपस्थित आये एवं ना ही सम्मन तलबाना प्रस्तुत किया। इसलिए अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आदेश 9 नियम–5 सी.पी. सी में खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित प्रति मु.नं. 21/2012 ब उनवानी पाना देवी बनाम गुरूगदयाल के अवलोकन से यह जाहिर है कि पूर्व में भी अपीलान्ट ने नामा.सं. 177 ग्राम सरूण्ड में पारित निर्णय 15/6/1992 के विरूद्व न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी। अब अपीलान्ट द्वारा पुनः लगभग 3 वर्ष पश्चात् पुनः नामा.सं. 177 ग्राम सरूण्ड के खिलाफ उक्त अपील प्रस्तुत की है, जो अत्यन्त विलम्ब से प्रस्तुत होने के कारण चलने योग्य नहीं है। पूर्ववर्ती अपील के तथ्यों को छिपाते हुए उक्त अपील न्यायालय में प्रस्तुत की है। आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी के तहत् पारित निर्णय दिनांक 06/4/2017 के विरूद्व सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी अथवा निश्चित समय अवधी में यानि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर आदेश 9 नियम 5 (2) सी.पी.सी की अनुपालना में इसी न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी, परन्तु इनके द्वारा लगभग 2 वर्ष 10 माह पश्चात् अत्यधीक विलम्ब से व तथ्यों को छिपाते हुये अपील प्रस्तुत की है जो मियाद बहार होने के कारण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दफा–5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः अपील अपीलान्ट आदेश 9 नियम 5 सीपसी व विलम्ब के आधार पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 6.10.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अति. जिला कलेक्टर
कोटपूतली (जयपुर)